

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या:1133/24-पी0-2-10-56(एम)ई/2000TC
लखनऊ: दिनांक : 30 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दि कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के आर्टिकल आफ एसोसिएसन आर्टिकल -32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री नन्द लाल को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अनुधि अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री नन्द लाल पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत सहगल)
सचिव।

-30/4

संख्या :1133(1)/24-पी0-2-10, तददिनांक

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
- 4- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- 7- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी।
- 9- उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त पूर्णकालिक एवं अंशकालिक निदेशकगण।
- 10- ऊर्जा अनुभाग-1/2/3।

आज्ञा से

(राज कमल गुप्ता)
विशेष सचिव।

30/4/10